

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27-3(5)/पदो/अभि/23/

जयपुर,दिनांक:

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर अपलोड किये जाने के फलस्वरूप इन्हे कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक (Pay Matrix L-8) के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्रं.सं.	नाम कर्मचारी मय पिता का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री अशोक कुमार मोची पुत्र श्री रतनलाल (सेवा.)	S.C	01.04.2023
2.	श्री पंकेश मीणा पुत्र श्री रूगाराम मीणा	S.T	01.04.2023
3.	श्री रामदयाल सारण पुत्र श्री मोडाराम	U.R	01.04.2023
4.	श्री रोहित कुमार मीना पुत्र श्री रामखिलाडी मीना	S.T	01.04.2023
5.	श्री अमित कुमार मीना पुत्र श्री हजारी लाल मीना	S.T	01.04.2023

उपरोक्त चयनित कार्मिक उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है, किन्तु पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
03. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
04. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक कनिष्ठ/ वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. संबंधित कार्मिक.....द्वारा:—कार्यालयध्यक्ष।
06. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर।